

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम

एवं जिला कलक्टर उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 90/2026 (अपील सूचना का अधिकार)

Amrata Lodha Add: C 39, Pratap Nagar, Udaipur

.....अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय**

दिनांक: 21/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 18.01.2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्लॉट नंबर 15 ढिकली, खसरा नंबर 4351 जव 4355, 4357-4363 के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/90/26/ 557-58 दिनांक 24.04.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./90/25/746-47 दिनांक 06.05.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.01.2026 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 145-47 दिनांक 03.02.2026 से उक्त कार्यालय को अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर से होने से प्रत्यर्थी द्वारा



RajKaj Ref No.:  
22356963  
M e-Sign

**Signature valid**

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2026.05.21 12:38:03 IST  
Reason: Approved

अपीलार्थी के आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को जरिये पत्रांक 145-47 दिनांक 03.02.2026 अंतरण किया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़तर हो।



(गौरव अग्रवाल)  
प्रथम अपील अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अधि. एवं  
जिला कलेक्टर, उदयपुर

**Signature valid**

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2026.05.21 12:38:03 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
22356963  
M e-Sign